UPMA040129272026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ।
उपस्थितः डॉ० के.पी. सिंह ;उ०प्र० न्यायिक सेवा
न्यायाधिकारी कोड यू0 पी0 2292
फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0 841/2026
ज्ञान्ती देवी -----बनाम---------- अजय विश्वकर्मा आदि।
अं० धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना– दोहरीघाट, जनपद– मऊ।

दिनाँक 06.07.2026

पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ हेतु नियत है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में आवेदिका का कथन है कि प्रार्थिनी ज्ञान्ती देवी पत्नी जालन्धर मौर्या निवासी-बेला कसैला, थाना-दोहरीघाट, जनपद-मऊ की निवासिनी हूँ। घटना दिनांक-16.01.2026 को समय करीब सुबह 8:30 बजे हमारी लड़की चन्दन मौर्या पुत्री जालन्धर मौर्या उम्र 19 वर्ष हमारे ही गाँव के निवासी अजय विश्वकर्मा पुत्र रामदरश विश्वकर्मा, निवासी बेला कसैला, थाना दोहरीघाट जनपद-मऊ यह हमारी लड़की को बहला फुसलाकर हमारे घर से लेकर चला गया, दिनांक-17.01.2026 को समय करीब सुबह 10 बजे मेरे मोबाईल नं0-8004087065 पर मो0 नं0-7899853216 से फोन आया कि आप चन्दन की मॉ बोल रही है मैं कुमार गौरव सिंह पुलिस चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा, जनपद-वाराणसी से बोल रहा हूँ आपकी लड़की चन्दन मौर्या है वह सिंह मेडिकल रिसर्च सेन्टर मलदहिया वाराणसी में भर्ती है। आप लोग आ जाईये जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो उस समय 05:30 बजे शाम हो रहा था। मेरी लड़की मृत पड़ी थी मेरी लड़की को अजय विश्वकर्मा माँ संकठा गेस्ट हाउस विद्यापीठ रोड वाराणसी में लेकर रूका था। अजय विश्वकर्मा मेरी लड़की के साथ जबरदस्ती दूराचार किया व जहर खिलाकर मेरी लड़की की हत्या कर दी। मेरी लड़की की हत्या में अजय विश्वकर्मा होटल के मालिक व स्टाफ, कुमार गौरव सिंह पुलिस चौकी प्रभारी रोडवेज जनपद-वाराणसी शामिल है मौके पर दरोगा जी कहे कि आप लोग प्रार्थना पत्र दीजिए मैं मुकदमा लिखता हूँ। आप लोग पोस्टमार्टम कराकर आइये। पुलिस चौकी पर जब हम लोग आये तब कहे कि लाश को जलाकर आइये। मुकदमा लिख दूँगा। तभी भी मुकदमा नहीं लिखे, मैंने पूछा कि साहब चन्दन मौर्या की मोबाईल कहा है तब दरोगा जी कहे कि मोबाईल मेरे पास है मेरी लड़की के नम्बर 9469504421 से अजय विश्वकर्मा लड़के के मोबाईल नं0-8726137444 पर दिनांक-18.01.2026 को 05:30 बजे 3000/-रू० (तीन हजार रूपया) दरोगा जी ने स्थानान्तरण किया था मेरी लड़की की मोबाईल दरोगा जी दिनांक-18.01.2026 को रात 08:30 बजे हमको दिये। मेरा मानसिक सन्तुलन खराब था अब ठीक है मैं अपना मुकदमा लिखवाने आयी हूँ मैं अपने थाना दोहरीघाट गयी तब भी मुकदमा नहीं लिखा गया। तब एस०पी० साहब के यहाँ गयी तब भी मुकदमा नहीं लिखा गया, तो न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र दे रही है।

प्रस्तुत मामले में विपक्षी कुमार गौरव सिंह की आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 17.01.2026 को सिंह हास्पीटल मलदहिया, वाराणसी से थाना सिगरा, वाराणसी को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम चन्दन मौर्य पुत्री जालन्धर मौर्य करीब 22 वर्ष पता ग्राम व पोस्ट बेला कसैला, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ की रहने वाली है जो दिनांक 16.01.2026 से होटल मां संकठा परेड कोठी, थाना सिगरा, वाराणसी में रूकी हुई थी जो दिनांक 17.01.2025 को सुबह जहर का सेवन कर ली थी जिसे उसके साथ रहा मित्र अजय विश्वकर्मा पुत्र रामदरश विश्वकर्मा के द्वारा सिंह हास्पीटल मलदहिया वाराणसी में दिनांक 17.01. 2026 को सुबह भर्ती कराया गया था। सिंह हास्पीटल द्वारा थाने पर दिये गये सूचना

Digitally signed by KRISHN PRATAP SINGH
Date: 2026.07.18 12:48:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mau.

पर प्रार्थी मौके पर पहुंचा। वहां सिंह हास्पीटल में प्रार्थी एवं डाक्टर व कर्मचारियों की मौजूदगी में मजरूबा का बयान लिया गया। बयान में मजरूबा द्वारा बताया गया कि "उसके शादी की बात उसकी मर्जी के बगैर माता-पिता के द्वारा कहीं और तय की जा रही है इस बात से नाराज होकर मैंने सल्फास का सेवन किया है उसके जहर खाने में किसी और का हाथ नहीं है।" मजरूबा के बयान की विडियोग्राफी कराई गयी मौके पर परिजन को जरिये दूरभाष सूचना दी गयी परन्तु इलाज के दौरान मजरूबा की मृत्यु हो गयी। मौके पर परिजनो के आने के उपरान्त मृतका के पंचायतनामा भरने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और पंचायतनामा भरकर मृतका चन्दन मौर्या का शव नियमानुसार मर्चरी हाउस शिवपुर भेजा गया तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला फिल्ड यूनिट कमिश्नरेट वाराणसी को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर मृतका के जहर खाये जाने वाले स्थान मां संकठा गेस्ट हाउस बुलाया गया जहां पर फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर गेस्ट हाउस के कमरा नम्बर 6 से फटी हुई सल्फास का पैकेट (सम्भावित सल्फास मौजूद). एक अदद एक कोने पर फटा हुआ बरामद कर रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थी को सुपुर्द किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा थाना कार्यालय में दिया गया। उपरोक्त तथ्यों का तसकीरा थाना सिगरा के जी.डी. नम्बर 63 दिनांक 18.01.2026 में दर्ज है जी.डी. की प्रति संलग्न की जा रही है। उपरोक्त के अलावा वादिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप मिथ्या है। मृतका को उसका पुरूष मित्र चिकित्सालय में भर्ती कराया था और मृतका का मोबाइल भी उसी के पास था। मोबाइल से किये गये रूपये के ट्रांजेक्शन के बारे में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में वादिनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)/175(3) बी.एन.एस.एस. प्रार्थी के सन्दर्भ में निरस्त होने योग्य है।

आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अपना शपथ पत्र, थानाध्यक्ष कोपागंज, को प्रेषित पत्र की प्रति, पुलिस अधीक्षक, मऊ, को प्रेषित पत्र की प्रति, मूल डाक रजिस्ट्री रसीद, आदि दाखिल किया गया है। प्रस्तुत मामले में थाने से आख्या तलब की गयी, थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर उसकी लड़की को बहला–फुसलाकर ले जाने और उसकी हत्या किये जाने का आरोप लगाया गया है। थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका की लड़की ने सैलफॉस खाकर अपनी जान दे दी, जबकि पत्रावली के साथ संलग्न पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहीं भी मृतका के शरीर में विष होने का उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण हत्या से सम्बन्धित है, जो एक गम्भीर वं संज्ञेय अपराध है। प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय एवं गम्भीर प्रकृति का होना प्रकट होता है। उक्त घटना के बाबत साक्ष्य संकलन किया जाना है, जो बिना विवेचना के संभव नहीं है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र उपरोक्त के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर अन्दर सप्ताह आख्या प्रेषित करें। आदेश की एक प्रति संबंधित प्रभारी निरीक्षक थाना स्थानीय को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

दिनांकः 06.07.2026

(डॉ. के.पी. सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ
J.O. Code-UP2292